

भारत सरकार  
संस्कृति मंत्रालय  
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण  
24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण  
की 382वीं बैठक का कार्यवृत्त  
स्थान - राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण सम्मेलन कक्ष

तिथि व समय - 03 मार्च, 2023 पूर्वाह्न 10.45 बजे

\*\*\*\*\*

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया;

1. प्रो. किशोर के. बासा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से।
2. श्री हेमराज आर कामदार, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से।
3. प्रो.एम. कैलाश राव, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से।
4. श्री भास्कर वर्मा, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण।

### कार्यसूची संख्या 01

एनओसी आवेदनों पर विचार

ऑनलाइन मामले:

मामला संख्या 01

(बाबू साड़ी प्राइवेट लिमिटेड, श्री एबी सुब्रमण्यम साह, श्री एबी गनोबा साह, 36, शेखपेट नाडु स्ट्रीट, कांचीपुरम-631501)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 1803, कांचीपुरम, तमिलनाडु में 9.12 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेंट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जी+1 मंजिल के साथ हेड रूम के साथ तलक्षेत्र जीएफ=एफएफ=83.60 वर्गमीटर, खुला क्षेत्र=257.40 वर्गमीटर,

---

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 1

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

भास्कर वर्मा

हेडरूम=18.64 वर्गमीटर के भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

### मामला संख्या 02

(श्री वी. मनिक्कम नं: 17, कंबर स्ट्रीट, किलाम्बक्कम, वंडालूर तालुक, चेंगलपेट जिला, पिन कोड: 603210)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 220/9बी, किलाम्बक्कम, वंडालूर, चेंगलपेट, तमिलनाडु में 6.82 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक इत्यादि सहित) के साथ पानी की टंकी के साथ भूतल के प्लिंथ क्षेत्र के साथ=35.02 वर्गमीटर, खुली जगह का क्षेत्र=61.55 वर्गमीटर, खुली सीढ़ी=6.21 वर्गमीटर, परिसर की दीवार=1.52 मीटर, भूतल के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

### मामला संख्या 03

(श्रीमती पर्वतम V दरवाजा संख्या 4 और 5, पलार स्ट्रीट, फ्लैट नंबर एफ-1, सुभा कीर्तन अपार्टमेंट, काशी विशालाक्षी पुरम, पूपथी नगर, किलकट्टली, चेन्नई-600117, तमिलनाडु स्टेट)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर 25, ओल्ड एस.नंबर149/4, किलाम्बक्कम, वंडालूर, चेंगलपेट, तमिलनाडु में कुल 13.71 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) की कुल ऊंचाई के साथ स्टिल्ट+2 मंजिलों के साथ हेडरूम और पानी की टंकी के साथ स्टिल्ट=एफएफ=एसएफ=300.63 वर्गमीटर भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

### मामला संख्या 04

(श्री कामेश्वरन डी.नं.85/108, कामत चियामैन सननाथी स्ट्रीट, कांचीपुरम, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 903/1, कांचीपुरम, तमिलनाडु में बेसमेंट + जी+2 मंजिलों की कुल ऊंचाई 9.30 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के

---

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 2

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

मा 2/2/2021

साथ बेसमेंट=स्टिल्ट=एफएफ=एसएफ=148.32 वर्गमीटर, खुला क्षेत्र=129.64 वर्गमीटर तलक्षेत्र, बेसमेंट की कुल गहराई=2.10 मीटर के साथ अस्पताल भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

### मामला संख्या 05

(श्री अरिवाङ्गन, जी 115/28, एसवीएन पिल्लई स्ट्रीट, कांचीपुरम 631 5021)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में टाउन सर्वे नंबर 720/1, कांचीपुरम, तमिलनाडु में 9.00 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक इत्यादि सहित) की कुल ऊंचाई के साथ; स्टिल्ट+2 मंजिलों के साथ स्टिल्ट=एफएफ=एसएफ=39.50 वर्गमीटर, खुला क्षेत्र= 44.50 वर्गमीटर वाले भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

### मामला संख्या 06

(श्रीमती के. मीराबाई, TS NO.473/3,D.NO.21, निर्मिथकरई स्ट्रीट (उबाथलाइवर)

परमासिवम स्ट्रीट), कांचीपुरम, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 473/3, कांचीपुरम, तमिलनाडु में 7.87 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जी+1 मंजिल के साथ जीएफ=एफएफ=93.10 वर्गमीटर, खुला क्षेत्र=56.40 वर्गमीटर, परिसर की दीवार= 65.50 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

### मामला संख्या 07

(श्री पार्थिवन, ए10, पेरुमल स्ट्रीट, कांचीपुरम, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 2211/1ए2बी कांचीपुरम, तमिलनाडु में 7.71 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जी+1 मंजिल के साथ जीएफ=एफएफ=42.60 वर्गमीटर, खुला क्षेत्र=43.85 वर्गमीटर के साथ भवन के निर्माण के

---

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 3

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

मा 2020

लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

#### मामला संख्या 08

(श्रीमती के. सेल्वकुमारी, वार्ड नं. 4, ब्लॉक. नं. 6. टीएस नं. 473/2, डी. नं. 21, निर्मिथकरई स्ट्रीट (उबाथलाइवर) परमासिवम स्ट्रीट), कांचीपुरम कॉर्पोरेशन लिमिटेड)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में टीएस नंबर 473/2, कांचीपुरम, तमिलनाडु में 7.85 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जी+1 मंजिल के साथ जीएफ=एफएफ=90.02 वर्गमीटर, खुला क्षेत्र=55.48 वर्गमीटर, परिसर की दीवार=63.50 आरएमटी भवन के निर्माण के लिए इस मामले में एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

#### मामला संख्या 09

(श्री गुंटुरु राम सुब्बाराव पुत्र सुब्रह्मण्यम, द्वार संख्या-10-2-195, जीबीसी रोड, बापटला, गुंटूर डीटी, आंध्र प्रदेश, पिन-522101)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद न होने के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

#### मामला संख्या 10

(बोम्मीसेटी वेंकटेश्वरलू पुत्र (स्वर्गीय) वेंकट सुब्रह्मण्यम, डोर नंबर 16-1-17, जीबीसी रोड, बापटला, पिन-522101)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद न होने के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने और जी+2 मंजिलों के साथ 10 मीटर (सभी सहित) तक ऊंचाई को सीमित करने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

20/2/20

## मामला संख्या 11

{(1) मोहम्मद अनवर पुत्र मोहम्मद गौस (2) मोहम्मद पीरुन्निसा बेगम पत्नी मोहम्मद अनवर, दरवाजा नंबर 10-2-72, जीबीसी रोड, बापटला, पिन 522101, आंध्रप्रदेश)}  
आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद न होने के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

## मामला संख्या 12

(नबीलाल मौलासाब दुर्गा, जालनगर हुडको गार्डन विजयपुर, कर्नाटक)  
आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद न होने के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

## मामला सं 13

(अजरोद्दीन पुत्र नजीर अहमद गसमंडी, वार्ड नं. 20, केएचबी कॉलोनी, जे एम रोड, विजयपुरा-586104)  
आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर 255\*1X, प्लॉट नंबर एलआईजी-60, विजयपुरा, बीजापुर में 5.15 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ=36.00 वर्गमीटर के भूतल के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

## मामला सं 14

(टी शमशाद बेगम, 8वां वार्ड कोंडानायकनहल्ली, होस्पेट, विजयनगर जिला-583201)  
आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद न होने के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

## मामला सं 15

(सैयद इमामुद्दीन सैयद मो. कादरी व अन्य, वार्ड नंबर 8, नोंध नंबर 1140, पंचोलीवाड़, गोपीपुरा, सूरत, गुजरात)  
आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में CSNo.1140 वार्ड नंबर 8, शीट नंबर 64, सूरत सिटी, सूरत, गुजरात में 18.89 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ

---

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 5

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

मा. र. र. र.

GF+4 मंजिलों के साथ जीएफ=एफएफ=एसएफ=टीएफ=एफएफ=68.23 वर्गमीटर, एससी और लिफ्ट=22.74 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

#### **मामला सं 16**

**(गुलाम मोहम्मद गुलाम हैदर शेख और अन्य, वार्ड नंबर 8, नोंध नंबर 874, गोपीपुरा, सूरत, गुजरात)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में CSNo.874 वार्ड नंबर 8, शीट नंबर 67, गोपीपुरा, सूरत, गुजरात में 21.60 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ GF+5 मंजिलों के साथ GF=FF=SF=TF=FF=FF=38.56 वर्गमीटर, SC और लिफ्ट=23.28 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

#### **ऑनलाइन मामलों पर पुनर्विचार:**

#### **मामला सं 01**

**(मिनाज़ इब्राहिमभाई मिर्जा, 581/3, लल्लू रायजी नो वंडो, मिर्जापुर, अहमदाबाद-380001, गुजरात)**

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में सीएस सं. 2989/3 पैकी, वार्ड शाहपुर-02, शीट नंबर 42+54, अहमदाबाद, गुजरात में 17.90 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक इत्यादि सहित) के साथ हॉलो/जीएफ+4 मंजिलों के साथ जीएफ (एचपी)=60.49 वर्गमीटर, जीएफ(एसपी)=17.52 वर्गमीटर, एफएफ=एसएफ=टीएफ=एफएफ=78.01 वर्गमीटर, एससी और एलएमआर=16.30 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

#### **ऑफलाइन मामलों पर पुनर्विचार:**

#### **मामला सं 01**

**(श्री राजा देवाडिगा ,राधा निवास कुंतीबेल मियार पोस्ट करकला, उडुपी जिला-574104)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सीएस सं 47/10, करकला कसाबा गांव, करकला तलूक उडुपी जिला में 4.42 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के जीएफ के साथ जीएफ=140.61 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और

---

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 6

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

मा 2022 वसु

शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

### अतिरिक्त कार्यसूची

#### दिल्ली ऑनलाइन मामला सं 01

(श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल, सुश्री रमा गोयल, बी-116, नीति बाग, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में बी-116, नीति बाग, नई दिल्ली में 17.99 मीटर (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) की कुल ऊंचाई के साथ बेसमेंट+स्टिल्ट+जीएफ+3 मंजिलों के साथ बेसमेंट=240.59 वर्गमीटर, स्टिल्ट=जीएफ=एफएफ=एसएफ=टीएफ=240.63 वर्गमीटर; गहराई=4.80 मीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

#### दिल्ली ऑनलाइन मामला सं. 02

(मैसर्स वैदिक होम्स अपने पार्टनर श्री विनीत मित्तल, ई-40, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-I, नई दिल्ली के माध्यम से)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में ई-40, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-I, नई दिल्ली-110049 में 17.99 मीटर (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) की कुल ऊंचाई के साथ बेसमेंट+स्टिल्ट+जीएफ+3 मंजिलों के साथ बेसमेंट=स्टिल्ट=जीएफ=एफएफ=एसएफ=टीएफ=125.40 वर्गमीटर; बेसमेंट की गहराई =03.81 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

#### दिल्ली ऑनलाइन मामला सं. 03

(श्री सुरेश चंद जैन, 4348, गली नंबर-4सी, अंसारी रोड 4, दरियागंज, वार्ड नंबर-XI, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 4348, गली नंबर-4 सी, अंसारी रोड 4, दरिया गंज, वार्ड नंबर-XI, नई दिल्ली-110002 में 17.69 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ बेसमेंट+स्टिल्ट+जीएफ+3 मंजिलों के साथ बेसमेंट=स्टिल्ट=जीएफ=एफएफ=एसएफ=टीएफ=107.774 वर्गमीटर; बेसमेंट की गहराई=2.92 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन

---

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 7

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

श्री सुरेश चंद जैन

के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

#### दिल्ली ऑनलाइन मामला सं. 04

(श्रीमती नसीम इशाक, 1510 पहाड़ी राजन बाजार, चितली कबर, दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 1504-1512 पहाड़ी राजन बाजार, चितली कबर, दिल्ली 110006 में 17.69 मीटर (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) की कुल ऊंचाई के साथ स्टिल्ट+जीएफ+3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट=जीएफ=एफएफ=एसएफ=टीएफ=198.007 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

#### दिल्ली ऑनलाइन मामला सं. 05

(श्रीमती ईरा जैन और श्री धर्मेन्द्र, प्लॉट नंबर डी-76, पंचशील एन्क्लेव, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर डी-76, पंचशील एन्क्लेव नई दिल्ली में 17.90 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ बेसमेंट+स्टिल्ट+जीएफ+3 मंजिलों के साथ बेसमेंट=स्टिल्ट=जीएफ=एफएफ=161.97 वर्गमीटर, एसएफ=टीएफ=136.12 वर्गमीटर, बेसमेंट की गहराई=3.66 मीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

#### दिल्ली ऑनलाइन मामला सं. 06

(श्री आफताब अली, 2333, गली दुहुगी, शाह कहन, तुर्कमान गेट, दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 4376, वाई नंबर 11, कोठी नंबर 4, कृष्ण मुरारी स्ट्रीट, अंसारी रोड, दरियागंज, दिल्ली-110002 में 17.99 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट+जीएफ+3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट=जीएफ=एफएफ=एसएफ=टीएफ=97.39 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 8

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

Ma 2 ch 2 वरुण

## ऑफलाइन मामले पर पुनर्विचार

### मामला सं. 01

(राजू बसप्पा नागेशी, मंजूनाथ निलय, एमजी हाई स्कूल रोड, कक्काया कॉलोनी, विजयपुर जिला - 586101)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया क्योंकि निर्माण कार्य प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना पहले ही पूरा हो चुका है और यह प्रतिषिद्ध क्षेत्र में है। एसए, धारवाड़ सर्किल द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

### मामला सं. 02

(श्रीमती यूटी नसीमा बानू, पत्नी मोहम्मद एम, हाजी अब्दुल्ला कंपाउंड बोलर पांडेश्वर पोस्ट, मेंगलोर तालुक, दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में एसवाई. सं. 599 (पी) 3, थोटा गांव, मेंगलोर शहर निगम सीमा में 13.25 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ+2 मंजिलों के साथ जीएफ=127.18 वर्गमीटर, एफएफ=155.14 वर्गमीटर, एसएफ=150.87 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

### मामला सं. 03

(एचएस वादीराज, पुत्र एचपी श्रीनवासा धन्या, वैकुंटा स्ट्रीट, बेलूर टाउन, बेलूर तालुक, हासन जिला - 573115)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पाया कि सक्षम प्राधिकारी यह सत्यापित करें कि किस प्राकृतिक आपदा ने आवेदक की संपत्ति को बर्बाद कर दिया है और यह भी कि सक्षम प्राधिकारी एएमएसएआर नियम, 2011 के नियम 16 के तहत प्रस्ताव की जांच करें।

### मामला सं. 04

(श्री. मणिप्रा, सदाशिव स्वामीगलू गुरु शिवलिंग, स्वामीगलू, हुक्केरीमठ, हावेरी जिला-581110)

आवेदन पर विचार करने के बाद मामले को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया क्योंकि प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना भूतल की छत के स्तर तक निर्माण कार्य कर लिया है और एसए, धारवाड़ सर्किल द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

---

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 9

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

मा. सं. २ व. मा.